कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 122/2017 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री त्रिलोचन सिंह, 394 विनोब बस्ती, श्रीगंगानगर
—अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ।
—प्रत्यार्थी

आदेश दिनांक 16.01.2018

यह अपील सूचना का अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के विरूद्ध प्राप्त हुई है।

अपीलार्थी की अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई वांछित सूचना काफी समय से लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई जा रही है। सूचना दिलवाये जाने हेतु यह अपील की है।

उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पत्र दिनांक 10.01.2018 से अपीलार्थी को सूचना सीधे भिजवाते हुए जिसकी प्रतिलिपि पत्र कमांक 17 दिनांक 10.01.2018 इस कार्यालय को प्राप्त हुई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के उक्त पत्र का अवलोकन करने से उनके द्वारा अपीलार्थी को सूचना भिजवाया जाना पाया गया है फिर भी उपलब्ध करवाई गई सूचना में कोई सूचना रह गई हो तो अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ से अलग से प्रार्थना पत्र द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए स्वंतत्र है। अपीलार्थी की वर्तमान अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official